

149

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29/9/04

क्रमांक 5691 / 13/2004 अतः राज्य सरपंगर पीय यह राय है कि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग जो कि राज्य में कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापित करने का आशय रखते हैं, की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचोन है;

अतएव, राज्य सरकार, एतद द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3—बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के वर्ग, उद्योग या उद्योगों के वर्ग को जो नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट उन कैप्टिव पावर संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता हो, जिनमें कैप्टिव पावर संयंत्र के संस्थापन के लिए एक वर्ष के भीतर पर्याप्त कार्य प्रारंभ हो गया है तथा अनुसूची के कालम (3) में विविर्दिष्ट कालावधि के भीतर उनके लगभग के लिए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो गया है उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, निम्नालिखित रूपों के अध्ययन रहते हुए विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

1. यह छूट केवल स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर उपलब्ध होगी।
2. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का वर्ग, उद्योग या उद्योगों का वर्ग 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव पावर संयंत्र की संस्थापन के मश्चात्, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित विद्युत निरीक्षक से पान्त्रा का प्रमाण—पत्र अभिप्राप्त करेगा तथा केवल ऐसे प्रमाण—पत्र के आधार पर ही छूट के लिए हकदार होगा।
3. जैसा ऊपर उपलब्धित है यह छूट किसी ऐसे अन्य कैप्टिव पावर संयंत्र लो उपलब्ध नहीं होगी जो किसी पुराने कैप्टिव पावर संयंत्र को प्रतिस्थापित करके संस्थापित किया गया हो।

अनुसूची

अनुक्रमांक	कैप्टिव पावर संयंत्र का प्रकार	विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की कालावधि	विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की कालावधि
1.	2.	3.	4.
1.	गैस आधारित संयंत्र,	2 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष
2.	हायड्लॉ/थर्मल/अन्य प्रकार के पावर संयंत्र,	3 वर्ष के भीतर	संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 6 वर्ष

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अन्द्रेशानुसार,

[Signature]

(राकेश साहनी)

प्रमुख सचिव

क्र.पृ.

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

150.

पृष्ठा ०५९१ / १३ / २००४
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक २७/७/२००४

१. गुरु राचिव, ग.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
२. प्रमुख सचिव, मान. मुख्य मंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल ।
३. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
४. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं पिधारी कार्य विभाग, विध्यालय भवन, भोपाल ।
५. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, म.प्र. पश्चिम / पूर्व / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि, इंदौर / जबलपुर / भोपाल ।
६. सचिव, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर ।
७. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, शिवाजी नगर, भोपाल ।
८. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. शासन, भोपाल— कृपया अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर इस विभाग को राजपत्र की 200-200 प्रतियाँ (हिन्दी एवं अंग्रेजी) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
९. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक म.प्र. शासन भोपाल ।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, उर्जा विभाग